


नवभारत न्यूज
26/11/2023





माधव विधि महाविद्यालय में संविधान दिवस पर कार्यशाला

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 26 नवम्बर। मध्य भारत शिक्षा समिति द्वारा संचालित माधव विधि महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा संविधान दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में एडवोकेट अनमोल खेड़कर ने बताया कि क्यों 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे मनाने का उद्देश्य क्या है। उन्होंने युवा शक्ति को अपने जीवन

में भारतीय संविधान के उद्देश्यों को अंगीकृत और आत्मार्पित करने का संकल्प दिलवाया और युवा शक्ति को आवाहित करते हुए कहा कि आप देश का भविष्य हैं और आपको अपना जीवन भारतीय संविधान के मूल्यों के अनुसार गणना होगा यही आपका अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण होगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी व अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।


Dr. Rahul Sharma
IQAC Coordinator


Principal
Madhav Vidhi Mahavidyalaya
Gwalior (M.P.)

भारत में संविधान संप्रभु है : डॉ.नीति

ग्वालियर @ पत्रिका. माधव विधि महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ.नीति पांडे ने हरिद्वार उत्तराखंड के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में रविवार को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य पर उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि संविधान किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाला वह आधारभूत ढांचा है जिससे सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का गठन होता है। उन्हें शक्तियां प्रदान की जाती हैं, उनके ऊपर दायित्व अधिरोपित किए जाते हैं एवं उनके आपसी के साथ जनता के साथ संबंधों को विनियमित किया जाता है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को



अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया इसीलिए पहले इस दिन को विधि दिवस के रूप में और वर्तमान में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉ.पांडेय ने कहा कि भारत में विधिक संप्रभुता संविधान में निहित है, उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि संविधान बेसिक लॉ आफ लैंड है। इस कार्यक्रम में 8 राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि जगहों की छात्राएं मौजूद रहीं।

देश की राजनीतिक व्यवस्था को चलाने वाला आधारभूत ढांचा है संविधान

संविधान किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को चलाकर चलाने वाला आधारभूत ढांचा है, जिसकी सहायता के बिना जो भी विधायक, मंत्रिमण्डल, लोकसभा या राज्य सभा की कार्यवाही संभव नहीं है। इसके बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती है। संविधान के बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था संभव नहीं है। यह बात



संविधान
संविधान
के बिना
लोकतांत्रिक
व्यवस्था
संभव नहीं है।

संविधान के बिना जो लोकतांत्रिक व्यवस्था संभव नहीं है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिना संभव नहीं है।

22 मार्च 2023 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया जा चुका है। यह संविधान देश के 22 मार्च 2023 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। इससे पहले यह देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिना संभव नहीं था। यह संविधान के 22 मार्च 2023 को अंगीकृत किया गया।

देश की व्यवस्था का आधार है संविधान : पांडेय

माधव विधि महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. नीति पांडे ने हरिद्वार उत्तराखंड के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में रविवार 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य विषय पर उद्बोधन देते हुए कहा कि संविधान किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने वाला आधारभूत ढांचा है। जिससे सरकार के तीनों अंग विधायिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का गठन होता है। उन्हें शक्तियां प्रदान की जाती हैं उनके ऊपर दायित्व अधिरोपित किए जाते हैं। एवं उनके आपसी एवं जनता के साथ संबंधों को विनियमित किया जाता है। डॉ पांडेय ने कहा कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, एवं आत्मार्पित किया गया। इसीलिए पहले इस दिन को विधि दिवस के रूप में और वर्तमान में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में 8 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि की 200 छात्राएं शामिल रहीं।

भारत में सविधान संप्रभु है: डॉ. नीति पांडेय



संसद भवन • नयी दिल्ली

संसद भवन, नयी दिल्ली: नवोदय के अंतर्गत आयोजित एक कार्यक्रम में डॉ. नीति पांडेय ने सविधान संप्रभुता के अर्थ और महत्व के बारे में व्याख्यान किया। उन्होंने कहा कि सविधान संप्रभुता का अर्थ है कि सरकार का कार्य संप्रभुता के अंतर्गत ही चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सविधान संप्रभुता का अर्थ है कि सरकार का कार्य संप्रभुता के अंतर्गत ही चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सविधान संप्रभुता का अर्थ है कि सरकार का कार्य संप्रभुता के अंतर्गत ही चलना चाहिए।

डॉ. नीति पांडेय ने कहा कि सविधान संप्रभुता का अर्थ है कि सरकार का कार्य संप्रभुता के अंतर्गत ही चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सविधान संप्रभुता का अर्थ है कि सरकार का कार्य संप्रभुता के अंतर्गत ही चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सविधान संप्रभुता का अर्थ है कि सरकार का कार्य संप्रभुता के अंतर्गत ही चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सविधान संप्रभुता का अर्थ है कि सरकार का कार्य संप्रभुता के अंतर्गत ही चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सविधान संप्रभुता का अर्थ है कि सरकार का कार्य संप्रभुता के अंतर्गत ही चलना चाहिए।